SAARTHI · सारथी

करियर मार्गदर्शन पोर्टल · Career Guidance Portal

"सही मार्गदर्शन, उज्ज्वल भविष्य।"

करियर शीट · CAREER SHEET

Assistant Prosecution Officer (Rajasthan)

सहायक अभियोजन अधिकारी वह अधिकारी है जो न्यायालय में राज्य की ओर से आपराधिक मुक़दमे की पैरवी करता है। पुलिस अनुसंधान पूरा करके आरोप-पत्र न्यायालय भेजती है; उसके बाद अभियोजन की ज़िम्मेदारी इसी अधिकारी की होती है — साक्ष्य प्रस्तुत...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-prosecution-officer

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

सहायक अभियोजन अधिकारी वह अधिकारी है जो न्यायालय में राज्य की ओर से आपराधिक मुक़दमे की पैरवी करता है। पुलिस अनुसंधान पूरा करके आरोप-पत्र न्यायालय भेजती है; उसके बाद अभियोजन की ज़िम्मेदारी इसी अधिकारी की होती है — साक्ष्य प्रस्तुत करना, गवाहों की परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा, विधिक तर्क रखना, तथा अनुसंधान अधिकारी को क़ानूनी सलाह देना। यह पद अधिवक्ता के पेशे से निकटतम सरकारी पद है, पर एक बड़े अंतर के साथ: यहाँ मुवक्किल राज्य है और उद्देश्य केवल मुक़दमा जीतना नहीं, न्याय होते हुए दिखाना भी है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह पद विधि स्नातक होते ही नहीं मिलता — नियमों में बार में दो वर्ष का अनुभव, अथवा दो वर्ष तक अभियोजन उप-निरीक्षक के रूप में कार्य, अनिवार्य है। अर्थात् इस पद तक का रास्ता एल.एल.बी. के बाद वास्तविक न्यायालय-अनुभव से होकर जाता है।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	विधि में डिग्री (पुरानी योजना का 2 वर्षीय अथवा नई योजना का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, अथवा विधि (प्रोफ़ेशनल) की डिग्री) + बार में 2 वर्ष का अनुभव, अथवा अभियोजन उप-निरीक्षक के रूप में 2 वर्ष (सेवा नियम 1978, अनुसूची)
भर्ती संस्था	राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.), अजमेर — विभाग: गृह (अभियोजन निदेशालय)
आयु-सीमा	21 से 40 वर्ष, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 जनवरी को (सेवा नियम 1978, नियम 11) — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	पे मैट्रिक्स स्तर सेवा नियमों में नहीं दिया — विज्ञप्ति देखें
माँग	100% सीधी भर्ती — इस पद पर पदोन्नति से कोई नियुक्ति नहीं होती

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- क़ानून, न्यायालय एवं आपराधिक न्याय में रुचि
- बोलने, तर्क रखने एवं सार्वजनिक रूप से पक्ष प्रस्तुत करने का काम

- लोक सेवा में रहते हुए विधि का अभ्यास

क्षमताएँ

- तथ्य एवं साक्ष्य को क्रम से जोड़कर तर्क बनाना
- दबाव एवं भावनात्मक प्रकरणों में संयम बनाए रखना
- त्वरित सोच — प्रतिपरीक्षा में उत्तर तुरंत देना पड़ता है

ज़रूरी कौशल

- भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम का व्यावहारिक ज्ञान
- साक्ष्य का मूल्यांकन एवं प्रकरण की तैयारी
- अनुसंधान अधिकारी को विधिक सलाह एवं आरोप-पत्र की जाँच
- गवाहों की परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा
- विशेष अधिनियमों के अंतर्गत अभियोजन — एन.डी.पी.एस., पॉक्सो, एस.सी./एस.टी. अधिनियम एवं अन्य
- हिन्दी एवं अंग्रेज़ी दोनों में विधिक लेखन एवं पैरवी

4 कैसे पहुँचें

1. कक्षा 12 उत्तीर्ण करें; कला संकाय इस राह के लिए स्वाभाविक है।
2. विधि में डिग्री लें — पुरानी योजना का दो वर्षीय अथवा नई योजना का तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, अथवा विधि (प्रोफ़ेशनल) की डिग्री, किसी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से अथवा सरकार द्वारा समकक्ष मान्य योग्यता।
3. बार काउंसिल में नामांकन कराकर दो वर्ष तक वकालत करें। यह नियमों की अनिवार्य शर्त है, वरीयता नहीं — इसके बिना आवेदन ही नहीं बनता। विकल्प के रूप में अभियोजन उप-निरीक्षक के पद पर दो वर्ष का कार्य भी मान्य है। व्यावहारिक अर्थ यह है कि एल.एल.बी. के तुरंत बाद यह पद उपलब्ध नहीं, और वे दो वर्ष केवल प्रतीक्षा के नहीं — उन्हीं में वह अनुभव बनता है जिस पर यह काम टिका है।
4. आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
5. परीक्षा की तैयारी भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम पर केंद्रित रखें, और उसके साथ नीचे दी गई विशेष अधिनियमों की सूची पढ़ें — पाठ्यक्रम नियमों में ही दिया गया है, इसलिए यह अनुमान का विषय नहीं है।
6. आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्ति आने पर आवेदन करें।

प्रमुख परीक्षाएँ

- परीक्षा योजना नियमों की अनुसूची-II में पूरी दी गई है (नियम 21क के अंतर्गत, 15-04-2015 की अधिसूचना से जोड़ी गई), इसलिए यहाँ जो लिखा है वह आधिकारिक पाठ से है। चयन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से होता है।
- प्रश्न-पत्र I — विधि: 150 अंक, 3 घंटे। प्रश्न-पत्र II — भाषा (सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेज़ी): 50 अंक, 1 घंटा; इस भाषा प्रश्न-पत्र का स्तर वरिष्ठ माध्यमिक का रहेगा।

- साक्षात्कार 25 अंक का होता है। आयोग साक्षात्कार के लिए रिक्तियों के तीन गुना तक अभ्यर्थियों को (श्रेणीवार) बुलाता है, और वही अभ्यर्थी पात्र होते हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 35% तथा कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त किए हों। नियुक्ति की संस्तुति के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 05 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है — यह छोटी सी शर्त प्रायः अनदेखी रह जाती है।
- नाम को लेकर एक बात अवश्य जान लें, क्योंकि खोजते समय भ्रम होता है। 20-07-2015 की अधिसूचना से "सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-II" के स्थान पर "सहायक अभियोजन अधिकारी" नाम रखा गया — पर यह प्रतिस्थापन अनुसूची-II एवं नियम 21क तक ही पहुँचा; अनुसूची-I की पंक्ति में पद का नाम आज भी "Assistant Public Prosecutor Grade-II" ही लिखा है। अर्थात् एक ही नियमावली में यह पद दो नामों से मिलता है, इसलिए दोनों नामों से खोजें।
- प्रश्न-पत्र I का पाठ्यक्रम तीन भागों में है। भाग-क: भारतीय दंड संहिता, 1860। भाग-ख: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872। भाग-ग: विशेष अधिनियम — स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985; अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989; आयुध अधिनियम 1959; राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950; आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955; गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994; लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012; दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961; राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 1992; महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986; खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006; तथा राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम।
- नियमों में एक विशेष आयु-प्रावधान भी है: जो व्यक्ति रिक्तियों के अभाव में अथवा पद समाप्त होने के कारण इसी पद से हटाए गए हों, उनके लिए ऊपरी आयु-सीमा नहीं रहती — बशर्ते वे प्रारंभिक नियुक्ति के समय निर्धारित आयु-सीमा के भीतर रहे हों, भर्ती की सामान्य प्रक्रिया का पालन हो, योग्यता एवं चरित्र संबंधी शर्तें पूरी हों, हटाया जाना किसी शिकायत अथवा कदाचार के कारण न हो, और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी से अच्छी सेवा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। यह छूट अधिकतम दो अवसरों तक ही मिलती है।

- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Government law colleges, Rajasthan — LL.B. — जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर (https://hte.rajasthan.gov.in/)
- National Law University, Jodhpur — जोधपुर, राजस्थान (https://nlujodhpur.ac.in/)
- University of Rajasthan — Faculty of Law — जयपुर, राजस्थान (https://uniraj.ac.in/)
- District courts — where the two years at the Bar are actually served — हर ज़िला मुख्यालय

ऑनलाइन

- गृह विभाग, राजस्थान — अभियोजन निदेशालय — यही वह विभाग है जिसमें यह पद आता है (https://home.rajasthan.gov.in/)
- India Code — the bare text of every Act in the Part C syllabus, free — भारत सरकार (https://www.indiacode.nic.in/)
- Bar Council of Rajasthan — enrolment, which the two years at the Bar require — जोधपुर, राजस्थान (https://www.barcouncilofrajasthan.org/)
- eCourts — district court records and cause lists — भारत सरकार (https://ecourts.gov.in/)

- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfLs%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (https://dop.rajasthan.gov.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (https://swayam.gov.in/)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (https://ndl.iitkgp.ac.in/)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (https://ncert.nic.in/)

फ़ीस

एल.एल.बी. राजकीय विधि महाविद्यालयों में बहुत कम शुल्क पर हो जाती है और राजस्थान के हर संभाग में ऐसा महाविद्यालय है। इस पद की सबसे बड़ी व्यावहारिक बात यह है कि पात्रता की दूसरी शर्त — बार में दो वर्ष — अपने आप में व्यवसाय है, खाली प्रतीक्षा नहीं: उन दो वर्षों में वकालत से आय भी होती है और वही अनुभव बनता है जिसकी परीक्षा आगे साक्षात्कार में होती है। तैयारी की सामग्री लगभग पूरी तरह निःशुल्क है, और यह इस पद की एक असामान्य विशेषता है — पाठ्यक्रम नियमों में नाम लेकर दिया गया है और उसमें गिनाए गए सभी अधिनियमों का प्रामाणिक पाठ इंडिया कोड पर मुफ़्त उपलब्ध है। अर्थात् जिस पर परीक्षा होनी है, वह पूरा का पूरा सरकारी वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है। परीक्षा शुल्क कुछ सौ रुपये है, आरक्षित वर्गों को छूट मिलती है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (https://sje.rajasthan.gov.in/)
- National Scholarship Portal (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- Buddy4Study scholarship search (https://www.buddy4study.com)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालय, विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस., पॉक्सो, एस.सी./एस.टी.), तथा अभियोजन निदेशालय के ज़िला कार्यालय। काम का बड़ा भाग न्यायालय कक्ष में और उसकी तैयारी में बीतता है।

कार्य-संस्कृति

काम न्यायालय की गति से चलता है और वह गति अभ्यर्थी के नियंत्रण में नहीं रहती — तारीख़ें, स्थगन एवं गवाहों की अनुपस्थिति इस पेशे का रोज़ का यथार्थ है, और धैर्य यहाँ योग्यता का हिस्सा है। एक साथ अनेक प्रकरण चलते हैं, इसलिए तैयारी एवं अभिलेख का अनुशासन निर्णायक होता है। भावनात्मक रूप से यह कठिन काम भी है: पॉक्सो एवं अत्याचार निवारण जैसे अधिनियमों के प्रकरणों में पीड़ितों के साथ सीधा संवाद होता है, और उनकी गवाही सँभालना केवल विधिक नहीं, मानवीय कौशल भी माँगता है। दूसरी ओर, यह सरकारी सेवा में विधि का अभ्यास करने का सबसे प्रत्यक्ष रास्ता है — निजी वकालत की अनिश्चित आय के बिना न्यायालय में खड़े होकर बहस करने का काम, और उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करने की ज़िम्मेदारी। यह भी याद रखने योग्य है कि अभियोजक का कर्तव्य केवल दोषसिद्धि प्राप्त करना नहीं है; न्यायालय के समक्ष सच्चाई रखना उसका उतना ही दायित्व है।

कौन नौकरी देता है

- अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग, राजस्थान
- ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य की ओर से अभियोजन
- विशेष अधिनियमों के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय

माँग (2026)

हर ज़िले में आपराधिक न्यायालय हैं और उनमें राज्य की ओर से पैरवी करने वाले अधिकारियों की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है, इसलिए यह संवर्ग स्थायी है। विशेष अधिनियमों के अंतर्गत बने विशेष न्यायालयों — पॉक्सो, एन.डी.पी.एस., अत्याचार निवारण — के बढ़ने के साथ इस पद की माँग भी बनी रहती है। तैयारी की योजना बनाते समय एक बात व्यावहारिक रूप से महत्त्वपूर्ण है: पात्रता की शर्त के कारण आपको वैसे भी दो वर्ष वकालत करनी है, इसलिए इस पद की तैयारी उस अवधि के साथ-साथ चलती है, उसके बाद नहीं। उन्हीं दो वर्षों में जो अधिनियम आप न्यायालय में प्रयोग करेंगे, वे लगभग वही हैं जो पाठ्यक्रम में हैं — यह इस पद की एक असामान्य सुविधा है, जहाँ नौकरी का अनुभव और परीक्षा की तैयारी एक ही दिशा में चलते हैं। यह भी ध्यान रखें कि पदों की संख्या विभाग की आवश्यकता बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. सहायक अभियोजन अधिकारी — प्रवेश का पद, 100% सीधी भर्ती (अनुसूची-I में नाम अब भी सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-II)
2. लोक अभियोजक एवं वरिष्ठ अभियोजन पद — पदोन्नति से
3. अपर लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक स्तर के पद
4. अभियोजन निदेशालय में प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षी पद

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार
मध्य स्तर	₹55,000 – ₹75,000 (भत्तों सहित, कुछ वर्षों बाद)
वरिष्ठ स्तर	₹90,000 से अधिक (भत्तों सहित, वरिष्ठ अभियोजन पदों पर)

1978 के सेवा नियमों में पे मैट्रिक्स का स्तर नहीं दिया गया, इसलिए आरंभिक वेतन इस पृष्ठ पर आँकड़े के रूप में नहीं लिखा गया — वह उसी चक्र की विज्ञप्ति में मिलेगा। ऊपर दिए मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के आँकड़े अनुमानित हैं और किसी आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं; उन्हें दिशा समझें, वचन नहीं। तुलना की दृष्टि से एक बात उपयोगी है: निजी वकालत में आरंभिक वर्षों की आय अत्यंत अनिश्चित रहती है, जबकि यह पद नियमित वेतन एवं सेवा-सुरक्षा देता है — यही इसका मुख्य आकर्षण है, न कि उच्चतम आय। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- सरकारी सेवा में रहते हुए न्यायालय में वकालत का काम
- पाठ्यक्रम नियमों में नाम लेकर दिया गया है और उसकी पूरी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध है
- पात्रता के दो वर्ष वकालत से आय भी देते हैं और वही अनुभव परीक्षा में काम आता है
- निजी वकालत की तुलना में नियमित वेतन एवं सेवा-सुरक्षा

चुनौतियाँ

- बार में दो वर्ष का अनुभव अनिवार्य — एल.एल.बी. के तुरंत बाद यह पद उपलब्ध नहीं
- न्यायालय की गति एवं स्थगन पर अभ्यर्थी का नियंत्रण नहीं रहता
- पॉक्सो एवं अत्याचार निवारण जैसे प्रकरण भावनात्मक रूप से कठिन होते हैं
- एक ही पद दो नामों से नियमों में मिलता है, जिससे खोजने एवं समझने में भ्रम होता है

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- विधि रचनाकार / विधायी प्रारूपकार (राजस्थान)
- न्यायाधीश

- कनिष्ठ विधि अधिकारी (राजस्थान)

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. कार्मिक विभाग, राजस्थान — राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/20230201010321526569 1prosecutionIT.pdf

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग — विज्ञप्तियाँ — https://rpsc.rajasthan.gov.in/advertisements

3. गृह विभाग, राजस्थान — https://home.rajasthan.gov.in/

4. इंडिया कोड — पाठ्यक्रम में दिए सभी अधिनियमों का प्रामाणिक पाठ — https://www.indiacode.nic.in/

5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — https://rssb.rajasthan.gov.in/

6. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — https://dop.rajasthan.gov.in/

7. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in